सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 266 राँची, मंगलवार, 26 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2019

संख्या- सं०क० / राज०नि०-5/2009-2273--

भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

(i)- यह नियमावली झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(ii)- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii)- यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत होगा।

अध्याय-3

भर्ती / नियुक्ति

(2) (i)- झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कही जायेगी के नियम-12 (ग) में प्रावधानित है कि विभागीय परीक्षा में लेखा, विकास एवं हिन्दी (उच्च स्तर) के प्रश्न पत्र होगें। परन्तु नियमावली में विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम (नियमावली की परिशिष्ट-॥) में विकास विषय नहीं है। अतः नियमावली के नियम-12 (ग) में अंकित "विकास" शब्द को विलोपित किया जाता है ।

(ii)- विभागीय परीक्षा के विषय नियमावली के परिशिष्ट-॥ में अंकित्त विषयों के अनुरुप होंगी ।

(iii)- नियमावली के नियम-12 (क), (ख) एवं (ग) में किये गये प्रावधान नियमावली निर्गत होने की तिथि के पश्वात् नियुक्त होनेवाले पदाधिकारियों पर लागू होंगे।

अध्याय-4

विभिन्न पदों हेतु अर्हताएँ / प्रोन्नति तथा अन्यान्य

3. मूल नियमावली के नियम-16 के उपनियम (च) को खण्ड (i) के रुप में अंकित किया जाता है एवं उसके पश्चात् खण्ड (ii) निम्नरुपेण अंतःस्थापित किया जाता है :-

(ii) वर्ष 2000 एवं उसके पूर्व नियुक्त पदाधिकारियों के लिए प्रोन्नति हेतुनियमावली के परिशिष्ट॥ में अंकित विषयों में केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता होगी"।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 266 - 50